

अध्यक्ष—काउंसलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल—462004

ऑनलाइन ऑफ—कैम्पस काउंसलिंग कार्यक्रम, सत्र 2011—12

समय सारणी में परिवर्तन

पीईपीटी-2011 के आधार पर बी.ई. (प्रथम चरण) में सम्मिलित होने हेतु अंतिम अवसर

बी.ई. पाठ्यक्रम में एआईसीटीई द्वारा अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकों की बाध्यता में शिथिलता प्रदान की गई है तदनुसार शासन द्वारा उसे यथावत लागू करते हुए सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश नियमों में उल्लेखित अर्हता में अनारक्षित श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक एवं मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के लिए 45 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।

इस काउंसलिंग में निम्नलिखित अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं:-

- ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकों के कारण दिनांक 26/07/2011 तक काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो सके थे
- अन्य सभी पात्र अभ्यर्थी जो किसी कारणवश पूर्व में दिनांक 26/07/2011 तक काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो सके थे
- शिक्षण शुल्क छूट योजना में सम्मिलित अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षण शुल्क छूट योजना की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है तथा दिनांक 26/07/2011 तक काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो सके थे
- शिक्षण शुल्क छूट योजना की काउंसलिंग में आवंटित संस्था से संतुष्ट नहीं हैं तथा दिनांक 26/07/2011 तक काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो सके थे

क्र.	पाठ्यक्रम	पंजीयन, दस्तावेजों का सत्यापन एवं च्वाइस फिलिंग	आवंटन पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता तत्पश्चात् (संस्था में रिपोर्टिंग व प्रवेश अथवा अपग्रेडेशन का चयन)	अपग्रेडेशन उपरांत आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता एवं संस्था में रिपोर्टिंग व प्रवेश
1.	बी.ई. (प्रथम चरण)	दिनांक 01/08/2011 से दिनांक 03/08/2011 सायं 5.30 बजे तक	दिनांक 06/08/2011 से दिनांक 10/08/2011 सायं 5.30 बजे तक	दिनांक 12/08/2011 से दिनांक 19/08/2011 सायं 5.30 बजे तक

विशेष:- ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षण शुल्क छूट योजना की काउंसलिंग में सम्मिलित हुए हैं तथा आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश ले लेते हैं उन्हें प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जावेगा तथा उनके द्वारा बी.ई. (प्रथम चरण) काउंसलिंग में जमा आंशिक शिक्षण शुल्क की राशि वापिस कर दी जावेगी।

शेष प्रक्रिया पूर्व में जारी काउंसलिंग प्रक्रिया अनुसार यथावत रहेगी। प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवे।

वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in

सम्पर्क फोन नं. 0755-4019025

अध्यक्ष—काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश